**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

**प्रकरण संख्या : अपील/एलआर/5099/2001/गंगानगर**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

**.....अपीलार्थी**

**बनाम**

1. बृजलाल पुत्र श्योपतराम
2. श्रवणकुमार पुत्र घुडसीराम
3. भूपराम पुत्र गौरीशंकर

–समस्त जाति जाट निवासीगण सांवतसर तहसील रायसिंहनगर जिला गंगानगर

4. मनीराम पुत्र श्योकरण कुम्हार निवासी 9 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

**.....प्रत्यर्थीगण**

**एकल पीठ**
**श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य**

उपस्थितः–
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार
श्री सतवीरसिंह एवं श्री मनीष पाण्डया, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स

**निर्णय**

**दिनांकः– 23–09–2019**

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–05–2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है बृजलाल पुत्र शिवपतराम पुत्र घडसीराम के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन की धारा 13–ए की उपधारा (1) के तहत राजस्व मंत्री के यहां रिवीजन पेश करने पर वहां से प्रकरण उपसचिव (उपनिवेशन) के पत्र दिनांक 10–04–1995 के साथ इस निर्देश के साथ प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी से समस्त बकाया राशि 50,000/– रूपये प्रति मुरब्बा की दर से मय 18 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के अधिसूचना दिनांक 06–11–1993 के अनुसार जमा करवाये तो प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए जाये तथा एकमुश्त राशि जमा करवाने पर अधिनियम की धारा 13–ए के आधार पर 25 प्रतिशत की छूट होगी। उक्त निर्देश की पालना में प्रार्थी को चालान जमा कराने के लिए नोटिस दिया गया। चालान में अंकित राशि के विरूद्ध मनीराम ने अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के यहां आपत्ति पेश किए जाने पर पत्रावली उनके समक्ष अन्तरित की गई। उक्त न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 06–11–1995 प्राप्त होने पर माननयी राजस्व मंत्री के निर्णय पर स्थगित रही, इसी दौरान कार्य विभाजन होने पर प्रकरण जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष पंजीबद्ध हुआ। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने दोनों प्रार्थना पत्रों के संबंध में विचारण करने के बाद आदेश दिनांक 04–04–2000 पारित किया। उक्त आदेश इस आशय के साथ पारित किया कि प्रार्थी श्रवणकमार द्वारा पेश नियमन प्रार्थना पत्र एवं मनीराम द्वारा कब्जे संबंधी प्रार्थना पत्र अपास्त कर दिए। उक्त आदेश में यह भी विवेचित है कि कब्जे के बारे में माननीय अपर न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश रायसिंहनगर द्वारा पहले से उनके आदेश दिनांक 07–11–1997 के द्वारा भूपराम व बृजलाल के प्रार्थना पत्रों पर यथास्थिति का आदेश जो कायम रखा गया है उसका जब तक अन्यथा निर्णय नहीं हो जाता या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. द्वारा कोई निर्णय नहीं हो जाता तब 07–11–1997 में अपर न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश रायसिंहनगर के द्वारा जारी आदेशानुसार ही प्रकरण में स्थिति रखी जावे। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–04–2000 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया।

4. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मामले में बृजलाल व श्रवणकुमार के पक्ष में जो माननीय राजस्व मंत्री आदेश पारित किए थे, उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है। इस कारण दोनों आवेदक प्रथम दृष्टया नियमन के अधिकार नहीं पाये जाते है। इस कारण श्रवणकुमार के द्वारा भूपराम आदि को जो बेचान किया गया है, वह भी धारा 13–क (1) के तहत नियमन योग्य नहीं होने से जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपास्त करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है। रेकार्ड से यह भी परिलक्षित होता है कि विवादित आराजियात के बाबत पक्षकारान के मध्य अपर जिला सैशन न्यायाधीश रायसिंहनगर व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लम्बित है एवं इसी आराजी बाबत अपर सैशन न्यायालय रायसिंहनगर के यहां विचाराधीन दीवानी वाद संख्या 134/1996 में दिनांक 07–11–1997 को स्थगन प्रार्थना पत्रों पर जो निर्णय दिया गया है उसके अुनसार उक्त आदेश को मूल दावे के निर्णय तक यथावत रखे जाने की आज्ञा पारित की है। स्थिति यह है कि बृजलाल व श्रवणकुमार द्वारा उपनिवेशन अधिनियम के तहत जब तक माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध कोई रिट नहीं करते तब तक वह नियमन के अधिकार नहीं पाये जाते है। ऐसी स्थिति में श्रवणकुमार द्वारा अन्य पक्षों यथा भूपराम को जो बेचान किया गया है, वह भी उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13–क (1) के तहत विधिनुसार नहीं है। द्वितीय मनीराम द्वारा आवंटी के उत्तराधिकारी भूमि का कब्जा दिलवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, इस बाबत यहां यह उल्लेखनीय है कि अपर जिला व सत्र न्यायालय रायसिंहनगर के यहां यद्यपि स्थगन प्रार्थना पत्र जो दिनांक 07–11–1997 को जो निर्णय किया गया, उसमें यह

प्रतिपादित किया गया है कि सक्षम न्यायालय पर इस स्थगन का कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

5. रेकार्ड से यह भी परिलक्षित होता है कि मूल वाद भूपराम बनाम मनीराम, बृजलाल बनाम मनीराम विचाराधीन है, जो उन्हीं पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात के बाबत है। उक्त परिवेश में मूल वाद के विचाराधीन रहने के कारण कब्जे बाबत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 572/1996 में परित निर्णय दिनांक 12-08-1997 के अनुसार प्रकरण को कब्जे के बारे में एकल पीठ को प्रतिप्रेषित किया गया है तथा वर्तमान में एकल पीठ के मामला विचाराधीन है। माननीय न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरणों की रोशनी मनीराम के कब्जे दिलाने संबंधी प्रार्थना पत्र बाबत जिला कलक्टर द्वारा अधिकारिता नहीं होने का जो निष्कर्ष अंकित किया है, वह उचित है। अतः मनीराम का कब्जे का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा अपास्त किए जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। प्रकरण का विधि के परिप्रेक्ष्य में आंकलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा उनके समक्ष लम्बित प्रकरण धारा 13-ए राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 में निर्णय दिनांक 04-04-2000 विधि सम्मत पाया जाता है।

6. उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय ने अपील पेश होने पर उनके द्वारा दिया गया निर्णय विधिनुसार उचित नहीं है तथा हम पाते है कि अपीलीय न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सिविल न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में अंकित निष्कर्षो की गलत व्याख्या करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जिसका हम समर्थन नहीं कर सकते। अतः आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से हम सहमत नहीं है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत अपील में विधि तथा तथ्य के बिन्दुओं का

समावेश होने के कारण इसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. फलस्वरूप प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–05–2001 को अपास्त किया जाकर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय 04–04–2000 को यथावत रखा जाता है।

8. प्रकरण उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर क्रम से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(प्रवीण गुप्ता)**
**सदस्य**